बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 45)

[25 सितंबर, 2006]

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

अध्याय 2

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन।

2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2ख) के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, चाहे साधारण शेयरों के या अधिमानी शेयरों के लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या निजी स्थापन द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जुटाए, जो विहित की जाए, किन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के साधारण शेयरों वाली समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी:

परन्तु अधिमानी शेयरों का निर्गमन, अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों (चाहे शाश्वत हो या अमोचनीय या मोचनीय) के प्रत्येक वर्ग के निर्गमन की सीमा और उन निबंधनों और शर्तों को, जिनके अधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयर निर्गमित किए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करते हुए, रिर्जव बैंक द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2खख) और उपधारा (2खखक) में, "लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने" शब्दों के स्थान पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2ग) में, "लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई" शब्दों के स्थान पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा जनता से जुटाई गई" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (2ङ) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु तत्स्थानी नए बैंक में कोई अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले शेयरधारक को केवल ऐसी पूंजी के संबंध में, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के समक्ष रखे गए ऐसे संकल्पों के संबंध में ही मत देने का अधिकार होगा, जो उसके अधिमानी शेयरों से संबंधित अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं:

परन्तु यह और कि कोई अधिमानी शेयरधारक, केवल अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत से आधिक्य में उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।"।

धारा 9 का संशोधन।

3. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(गक) वह रीति, जिसमें अतिरिक्त संख्या में निदेशक उपधारा (3) के खंड (झ) के दूसरे परंतुक के अधीन निवृत्त होंगे;";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, ''दो से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक'' शब्दों के स्थान पर, ''चार से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ग) एक ऐसा निदेशक होगा, जिसके पास वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर नामनिर्देशित किया जाएगा;'';

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(झ) जहां धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन पुरोधृत पूंजी,—

(I) कुल समादत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां एक निदेशक होगा;

(II) कुल समादत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक है किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां दो निदेशक होंगे;

(III) कुल समादत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, वहां तीन निदेशक होंगे,

जो केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु इस खंड के अधीन किसी ऐसे निदेशक के निर्वाचन के पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खंड (ज) के अधीन नामनिर्देशित निदेशक उतनी ही संख्या में ऐसी रीति से निवृत्त हो जाएंगे, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यह और कि यदि बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किसी तत्स्थानी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या, यथास्थिति, उपखंड (I) या उपखंड (II) या उपखंड (III) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक होती है तो ऐसे प्रारंभ के पूर्व अतिरिक्त संख्या में निर्वाचित ऐसे निदेशक ऐसी रीति से निवृत्त हो जाएंगे, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे निदेशक अपने पद से समयपूर्व निवृत्ति के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।'';

(ग) उपधारा (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(3कक) उपधारा (3क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (झ) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड के, जो इस संबंध में रिजर्व बैंक समय-समय पर अधिसूचित करे, आधार पर ठीक और उचित प्रास्थिति वाला व्यक्ति न हो।

(3कख) रिजर्व बैंक, उपधारा (3कक) के अधीन जारी अधिसूचना में ठीक और उचित प्रास्थिति का अवधारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषयों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो आवश्यक और उसके आनुषंगिक समझे जाएं।'';

(घ) उपधारा (3ख) में, "उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "उपधारा (3क) और उपधारा (3कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 9क का अंत:स्थापन।

4. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

रिजर्व बैंक की अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की शक्ति।

"9क. (1) यदि रिजर्व बैंक की यह राय है कि बैंककारी नीति के हित में या लोकहित में या तत्स्थानी नए बैंक अथवा उसके निक्षेपकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, समय-समय पर, लिखित आदेश द्वारा ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, एक या अधिक व्यक्तियों को तत्स्थानी नए बैंक के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में पद धारण करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस धारा के अनुसरण में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति—

(क) रिजर्व बैंक के प्रसादपर्यन्त और उसके अधीन रहते हुए, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या ऐसी और अवधियों के लिए, पद धारण करेगा जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न हो, जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे;

(ख) स्वयं निदेशक होने के कारण ही या अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उनके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या करने से रह गई किसी बात के कारण कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा; और

(ग) उससे तत्स्थानी नए बैंक में अर्हता शेयर धारण करना अपेक्षित नहीं होगा।

(3) तत्स्थानी नए बैंक के निदेशकों की कुल संख्या के किसी अनुपात की संगणना करने के प्रयोजन के लिए इस धारा के अधीन नियुक्त किसी अतिरिक्त निदेशक को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"।

धारा 10क का संशोधन।

5. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10क में,—

(क) उपधारा (2) में, "पर विचार करने के हकदार होंगे" शब्दों के स्थान पर, "पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और उसे अंगीकार करने के हकदार होंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) इस धारा की कोई बात उस अवधि के दौरान लागू नहीं होगी जिसके लिए तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड धारा 18क की उपधारा (1) के अधीन अधिक्रांत कर दिया गया था:

परन्तु प्रशासक, यदि वह उस तत्स्थानी नए बैंक के, जिसके निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण किया गया था, हित में समुचित समझता है तो इस धारा के उपबंधों के अनुसार वार्षिक साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।"।

नई धारा 10ख का अंत:स्थापन।

6. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

असंदत्त या अदावाकृत लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में अन्तरण।

'10ख. (1) जहां बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के पश्चात् तत्स्थानी नए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है, किन्तु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे किसी शेयरधारक को, जो लाभांश के संदाय का हकदार है, उसका संदाय नहीं किया गया

है या उसके द्वारा दावा नहीं किया गया है, वहां तत्स्थानी नया बैंक तीस दिन की ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसे लाभांश की कुल रकम, जो उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर "असंदत्त या अदावाकृत रह जाती है, एक विशेष लेखा में, जो.....का (तत्स्थानी नए बैंक का नाम) असंदत्त लाभांश लेखा" कहलाएगा, अंतरित करेगा।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा में "लाभांश, जो असंदत्त" पद से ऐसा लाभांश अभिप्रेत है, जिसकी बाबत अधिपत्र भुनाया नहीं गया है या जिसका अन्यथा संदाय या दावा नहीं किया गया है।

(2) जहां बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के पूर्व, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा घोषित कोई संपूर्ण लाभांश या उसका कोई भाग ऐसे प्रारंभ पर असंदत्त रहता है, वहां तत्स्थानी नया बैंक, ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर, ऐसी असंदत्त रकम को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा में अंतरित कर देगा।

(3) इस धारा के अनुसरण में तत्स्थानी नए बैंक के असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित कोई ऐसा धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक असंदत्त या अदावाकृत रहता है, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। 1956 का 1

(4) उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अन्तरित धन का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और रीति से उपयोग किया जाएगा'। 1956 का 1

7. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— (नई धारा 18क का अन्त:स्थापन।)

"18क. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या किसी तत्स्थानी नए बैंक के कार्यों का संचालन ऐसी रीति में, जो निक्षेपकर्ताओं या तत्स्थानी नए बैंक के हित के लिए हानिकारक है, किए जाने से रोकने के लिए या किसी नए तत्स्थानी बैंक के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड को, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी: (कतिपय मामलों में बोर्ड का अतिक्रमण।)

परंतु निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि, समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु फिर भी कुल अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर, रिजर्व बैंक के परामर्श से, ऐसी अवधि के लिए, जो वह अवधारित करे, एक ऐसे प्रशासक की (जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो) नियुक्ति कर सकेगी, जिसके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखा कर्म में अनुभव हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह समुचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश करने पर, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक, अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा:

परन्तु प्रशासक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोक्तव्य है।

(5) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, रिजर्व बैंक के परामर्श से, तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों की समिति का गठन कर सकेगी, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(6) समिति ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) प्रशासक और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वे संबंधित तत्स्थानी नए बैंक द्वारा संदेय होंगे।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति से पूर्व दो मास के अवसान पर या उसके पूर्व, तत्स्थानी नए बैंक का प्रशासक नए निदेशकों का निर्वाचन करने और निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए तत्स्थानी नए बैंक का साधारण अधिवेशन बुलाएगा।

(9) किसी अन्य विधि में या किसी संविदा, संगम ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठित किए जाने के पश्चात् तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।''।

अध्याय 3

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन।

8. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,–– 1980 का 40

(क) उपधारा (2ख) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:––

''(ग) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, चाहे साधारण शेयरों के या अधिमानी शेयरों के लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जुटाए, जो विहित की जाए, किन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के साधारण शेयरों वाली समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी:

परन्तु अधिमानी शेयरों का निर्गमन, अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों (चाहे शाश्वत हों या अमोचनीय या मोचनीय) के प्रत्येक वर्ग के निर्गमन की सीमा और ऐसे निबंधनों और शर्तों को, जिनके अधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयर निर्गमित किए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा।'';

(ख) उपधारा (2खख) और उपधारा (2खखक) में "लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने" शब्दों के स्थान पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2ग) में "लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई" शब्दों के स्थान पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा जनता से जुटाई गई" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (2ङ) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु तत्स्थानी नए बैंक में कोई अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले शेयर धारक को ऐसी पूंजी के संबंध में, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के समक्ष रखे गए केवल ऐसे संकल्पों के संबंध में ही मत देने का अधिकार होगा, जो उसके अधिमानी शेयरों से सबंधित अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं:

परंतु यह और कि कोई अधिमानी शेयर धारक केवल अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत से आधिक्य में उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।"।

9. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(गक) वह रीति, जिसमें अतिरिक्त संख्या में निदेशक उपधारा (3) के खण्ड (झ) के दूसरे परंतुक के अधीन निवृत्त होंगे;";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खण्ड (क) में, "दो से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक" शब्दों के स्थान पर "चार से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) एक ऐसा निदेशक होगा जिसके पास वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर नामनिर्देशित किया जाएगा;";

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(झ) जहां धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन पुरोधृत पूंजी,—

(I) कुल समादत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां एक निदेशक होगा;

(II) कुल समादत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक है किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां दो निदेशक होंगे;

(III) कुल समादत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, वहां तीन निदेशक होंगे,

जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु इस खंड के अधीन किसी ऐसे निदेशक के निर्वाचन के पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खंड (ज) के अधीन नामनिर्देशित निदेशक उतनी ही संख्या में ऐसी रीति से निवृत्त हो जाएंगे, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यह और कि यदि बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किसी तत्स्थानी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या, यथास्थिति, उपखंड (I) या उपखंड (II) या उपखंड (III) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक होती है तो ऐसे प्रारंभ के पूर्व अतिरिक्त संख्या में निर्वाचित ऐसे निदेशक ऐसी रीति से निवृत्त हो जाएंगे, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे निदेशक अपने पद से समय-पूर्व निवृत्ति के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।'';

(ग) उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(3कक) उपधारा (3क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (झ) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मापदंड के, जो इस संबंध में रिजर्व बैंक समय-समय पर अधिसूचित करे, आधार पर ठीक और उचित प्रास्थिति वाला व्यक्ति न हो।

(3कख) रिजर्व बैंक, उपधारा (3कक) के अधीन जारी अधिसूचना में उपयुक्त और उचित प्रास्थिति का अवधारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषयों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो आवश्यक या उससे आनुषंगिक समझे जाएं।'';

(घ) उपधारा (3ख) में ''उपधारा (3क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं ''उपधारा (3क) और उपधारा (3कक)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 9क का अंतःस्थापन।

10. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

रिजर्व बैंक की अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की शक्ति।

''9क. (1) यदि रिजर्व बैंक की यह राय है कि बैंककारी नीति के हित में या लोकहित में या तत्स्थानी नए बैंक अथवा उसके निक्षेपकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, समय-समय पर, लिखित आदेश द्वारा ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, एक या अधिक व्यक्तियों को तत्स्थानी नए बैंक के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में पद धारण करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस धारा के अनुसरण में, अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति,—

(क) रिजर्व बैंक के प्रसादपर्यन्त और उसके अधीन रहते हुए, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या ऐसी और अवधियों के लिए पद धारण करेगा जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न हो, जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करें;

(ख) स्वयं निदेशक होने के कारण ही या अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन या उनके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या करने से रह गई किसी बात के कारण कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा; और

(ग) उससे तत्स्थानी नए बैंक में अर्हता शेयरों को धारण करना अपेक्षित नहीं होगा।

(3) तत्स्थानी नए बैंक के निदेशकों की कुल संख्या के किसी अनुपात की संगणना करने के प्रयोजन के लिए इस धारा के अधीन नियुक्त किसी अतिरिक्त निदेशक को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।''।

11. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10क में,— धारा 10क का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में ''चर्चा करने के हकदार होंगे'' शब्दों के स्थान पर ''चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और उसे अंगीकार करने के हकदार होंगे'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) इस धारा की कोई बात उस अवधि के दौरान लागू नहीं होगी जिसके लिए तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड धारा 18क की उपधारा (1) के अधीन अधिक्रान्त कर दिया गया था:

परंतु प्रशासक यदि वह उस तत्स्थानी नए बैंक के, जिसके निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण किया गया था, हित में समुचित समझता है तो इस धारा के उपबंधों के अनुसार, वार्षिक साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।''।

12. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 10ख का अंत:स्थापन।

असंदत्त या अदावाकृत लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में अन्तरण।

'10ख. (1) जहां बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के पश्चात्, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है किन्तु घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे किसी शेयर धारक को, जो लाभांश के संदाय का हकदार है, उसका संदाय नहीं किया गया है या उसके द्वारा दावा नहीं किया गया है, वहां तत्स्थानी नया बैंक तीस दिन की ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर लाभांश की कुल रकम, जो उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर असंदत्त या अदावाकृत रह जाती है, एक विशेष लेखा में, जो ''(तत्स्थानी नए बैंक का नाम)..... के असंदत्त लाभांश लेखा'' कहलाएगा, अंतरित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में ''लाभांश जो असंदत्त है'' पद से ऐसा लाभांश अभिप्रेत है जिसकी बाबत अधिपत्र भुनाया नहीं गया है या जिसका अन्यथा संदाय या दावा नहीं किया गया है।

(2) जहां बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के पूर्व तत्स्थानी नए बैंक द्वारा घोषित कोई संपूर्ण लाभांश या उसका कोई भाग ऐसे प्रारंभ पर असंदत्त रहता है वहां तत्स्थानी नया बैंक ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी असंदत्त रकम को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा में अंतरित कर देगा।

(3) इस धारा के अनुसरण में, तत्स्थानी नए बैंक के असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित कोई ऐसा धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत रहता है, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। (1956 का 1)

(4) उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित धन का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और रीति से उपयोग किया जाएगा।'। (1956 का 1)

नई धारा 18क का अंत:स्थापन।

13. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में बोर्ड का अधिक्रमण।

"18क. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में या किसी तत्स्थानी नए बैंक के कार्यों का संचालन ऐसी रीति में, जो निक्षेपकर्ताओं या तत्स्थानी नए बैंक के हित के लिए हानिकारक है, किए जाने से रोकने के लिए या किसी नए तत्स्थानी बैंक के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड को, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी:

परन्तु निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि, समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु फिर भी कुल अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर, रिजर्व बैंक के परामर्श से, ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, एक ऐसे प्रशासक की (जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो) नियुक्ति कर सकेगी, जिसके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह समुचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा

(4) तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश करने पर, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक, अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा:

परन्तु प्रशासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोक्तव्य है।

(5) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, रिजर्व बैंक के परामर्श से, तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों की समिति का गठन कर सकेगी, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(6) समिति ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) प्रशासक और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वे संबंधित तत्स्थानी नए बैंक द्वारा संदेय होंगे।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक, बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति से पूर्व दो मास के अवसान पर या उसके पूर्व, तत्स्थानी नए बैंक का प्रशासक नए निदेशकों का निर्वाचन करने और निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए तत्स्थानी नए बैंक का साधारण अधिवेशन बुलाएगा।

(9) किसी अन्य विधि में या किसी संविदा संगम ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठित किए जाने के पश्चात् तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।"।

अध्याय 4

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का संशोधन

1955 का 23

14. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक कहा गया है) की धारा 20 की उपधारा (3) में "और तत्पश्चात् तब तक जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं हो जाए," शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 20 का संशोधन।

15. स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) में "और उसके पश्चात् तब तक जब तक कि उसका उत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नामनिर्देशित नहीं हो जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 21क का संशोधन।

अध्याय 5

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का संशोधन

16. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 26 में,— 1959 के अधिनियम 38 की धारा 26 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में "और उसके पश्चात् तब तक जब तक कि उसका उत्तरवर्ती सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं हो जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2क) में "और उसके पश्चात् तब तक जब तक कि उसका उत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट या नियुक्त नहीं हो जाए," शब्दों के स्थान पर "और तब तक जब तक कि उसका उत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नियुक्त नहीं हो जाए" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 6

कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन

17. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ii) में "और उसके पश्चात् तब तक जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है" शब्दों का लोप किया जाएगा। 1961 के अधिनियम 47 की धारा 6 का संशोधन।

18. भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6 की उपधारा (6) में "और उसके पश्चात् तब तक जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है" शब्दों का लोप किया जाएगा। 1981 के अधिनियम 28 की धारा 6 का संशोधन।

19. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 7 की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा। 1987 के अधिनियम 53 की धारा 7 का संशोधन।

राष्ट्रपति के दि बैंकिंग कंपनीज (एक्वीजीशन एंड ट्रांसफर आफ अंडरटेकिंग्स) एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be Published in the Official Gazette under clause (*a*) of Sub-Section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—1470 OLW(S-5)—8-05-2007.